(ग) क्या यह सच है कि ये वित्तीय संस्थायें मकान निर्माण हेतु आसानी से ऋण नहीं देतीं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार ऋण संबंधी प्रावधान में संशोधन करने का विचार रखती है ताकि मध्य वर्ग और समाज के कमजोर वर्ग उक्त ऋण सुविधा का लाभ उठा सकें?

वित्त मंत्री तथा कंपनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि एन एच बी द्वारा प्रदान की गई पुनर्वित सहायता में से आवास वित्त कंपनियों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों/सहकारी बैंकों, शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के संबंध में इन संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित ब्याज दरें प्रभारित की जाती हैं:—

ऋणों का आकार	ब्याज की दरें
(i) 25,000 रु० तक	12.00% वार्षिक
(ii) 25,000 रु० से अधिक और 2 लाख रु० तक	13.50 प्रतिशत वार्षिक
(iii) 2 लाख रु० से अधिक	स्वतंत्र

राष्ट्रीय आवास बैंक ने यह भी सूचित किया है कि एन एच बी पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत निर्धारित ब्याज की दरों के अतिरिक्त विभिन्न ऋण स्लैबों के अंतर्गत आवास वित्त कंपनियों के स्वयं के ब्याज दर ढांचे भी है। व्यक्तिगत उधारकर्ताओं को प्रत्यक्ष उधार देने के संबंध में एन० एच० बी० द्वारा अनुमोदित कुछेक आवास वित्त कंपनियों का ब्याज दर ढांचा अनुपत्र में दिया गया है। **[देखिए परिशिष्ट 178, अनुपत्र संख्या 84]**

(ग) और (घ) राष्ट्रीय आवास बैंक (एन एच बी) ने सूचित किया है कि आवास निर्माण उद्देश्यों के लिए आसानी से ऋण प्रदान करने में आवास वित्त संस्थाओं के गैर-विस्तार/अक्षमता के बारे में देने के लिए उसके पास कोई जानकारी नहीं है। तथापि यदि एन एच बी को आवास वित्त कंपनियों (एच एफ सी) द्वारा आवास वित्त के गैर विस्तार के संबंध में कोई विशेष शिकायत मिलती है तो संबंधित एजेंसी से उपयुक्त कदम उठाने के लिए कहा जाता है । चूंकि वर्तमान दिशानिर्देश पर्याप्त हैं, अतः जहां तक मध्य वर्गीय और समाज के कमजोर वर्ग को दिए जाने वाले ऋण का संबंध है। भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, आवास वित्त की भारतीय रिजर्व बैंक/राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा निरंतर पुनरीक्षा की जाती है।

Loss suffered by Air India due to wet leasing of aircraft

3572. SHRI MD. SALIM: Will the Minister of CIVIL AVIATION be pleased to state:

(a) what is the extent of loss by Air India due to wet leasing of aircrafts;

(b) whether Government will initiate an enquiry in the matter;

(c) if so, the details thereof; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI C.M. IBRAHIM): (a) to (d) Air India had wetleased three A-310 and two L-1011 aircraft to provide grwoth and to bridge capacity until Air India is able to acquire its own aircraft. While the cost of the wetleased A-310 aircraft is higher by Rs. 12,000/- per flying hour compared to Air India's A-310 aircraft, the cost of wetleased L-1011 aircraft is lower by Rs. 1.11 lakhs per hour as compared to Air India's similar capacity B747—300 (Combi) aircraft. Air India has since terminated its wetlease agreement with Caribjet for one A-310 and two L-1011 aircraft due to violations of civil aviation requirements in the operating of its aircraft.

Setting up of more Regional Cancer Centres in Maharashtra

3573. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Tata Memorial Hospital, Mumbai is the only Regional Cancer Centre functioning in the State of Maharashtra, which is unable to cope with the growing number of cancer cases in the State;